

सेवामें, श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर ग्रामीण विषय:- मुकदमा दर्ज करने बाबत । महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 05.04.2023 को समय 06.56 पी.एम. पर मन राजेन्द्र प्रसाद सउनि मय जाप्ता कानि श्री राजेन्द्र कुमार न. 2377 मय प्राइवेट वाहन के वास्ते करने गश्त व माइनर एक्ट की कार्यवाही हेतु थाने से रवाना होकर कस्बा दूदू पुलिया के निचे पहुँचा तभी पुर्व से थाने से रवानाशुदा कानि. श्री सुरेश कुमार न. 2302 उपस्थित आया जिसको हमराह लेकर मय जाप्ता रवाना होकर नरैना रोड सरकारी हॉस्पिटल दूदू के सामने पहुँचा तभी एक वाहन ट्रेक्टर का चालक नरैना की तरफ से अपने वाहन ट्रेक्टर पर लगे म्यूजिक सिस्टम से बहुत तेज आवाज में फिल्मी गाना बजाते हुए नरैना की ओर से आया जिसको मन स.उ.नि. मय हमराही जाप्ता की मदद से रुकवाया गया । उक्त ट्रेक्टर नम्बर RJ-47-RA-3933 का चालक सरकारी हॉस्पिटल दूदू के सामने ही इस ट्रेक्टर पर लगी डेक मशीन चलाकर स्पीकर से बहुत तेज आवाज में फिल्मी गाना बजाता रहा जिस पर उक्त ट्रेक्टर चालक से डेक मशीन पर चल रहे गाने को बन्द करवाया गया । उक्त चालक को इस प्रकार बहुत तेज आवाज में हॉस्पिटल के सामने गाने बजाने का लाईसेन्स व परमिशन हेतु पुछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स नही होना बताया तथा हॉस्पिटल के सामने तेज आवाज में डेक नही चलाने की मनाही होने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की । वाहन ट्रेक्टर नम्बर RJ-47-RA-3933 के चालक को नाम पत्ता पुछा तो उसने अपना नाम बाबुलाल पुत्र श्री कजोड जाति बागरिया उम्र 36 साल निवासी सुनाडिया थाना दूदू जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया जिसको हॉस्पिटल के सामने तेज आवाज में डेक मशीन में स्पीकर लगाकर गाना बजाने के कारण अस्पताल मे जैर ईलाज व भर्ती मरीजो को उनके स्वास्थ्य व क्षेम मे काफी क्षोभ व असुविधा उत्पन्न करने का उक्त कृत्य अपराध धारा 4/6 आर एन सी एक्ट का पाये जाने पर ट्रेक्टर चालक मुल्जिम बाबुलाल के कब्जे से उसके ट्रेक्टर नम्बर RJ-47-RA-3933 पर लगी डेक मशीन जो एक लोहे के बॉक्स में रखी जिस पर समाने की तरफ सफेद अक्षरो में Stereo USB Player ROSE RADIOS SEWA लिखा को मय लगी हुई यीएसपी मैमोरी कार्ड के व एक स्पीकर जिसके चारो तरफ लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ तथा सामने लोहे की जाली लगी है जिस पर वीर तेजा लिखा हुआ है तथा पिछे बालाजी रेडियोज लाडी होटल 9783175093 नखराली गणगौर लिखा हुआ है । मौके पर कोई स्वतन्त्र गवाहन उपलब्ध नही होने पर हमराही कानि. सुरेश कुमार न. 2302 व कानि राजेन्द्र कुमार कानि. 2377 को मौतबिर मामूर कर ट्रेक्टर के उपर से निकलवाया जाकर जरिये फर्द बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया व मुल्जिम चालक बाबुलाल उपरोक्त को उसके अपराध से अवगत करवाकर बाद आगाह जूर्म के मौके पर ही नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद कार्यवाही मन स.उ.नि. मय हमराही जाप्ता मय जप्त शुदा म्यूजिक सिस्टीम सामान मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम बाबुलाल को हमराह लेकर रवाना होकर हाजिर थाना आया हूँ जप्त शुदा म्यूजिक सिस्टम सामान मय फर्द जप्ती व गिरफ्तारशुदा मुल्जिम बाबुलाल मय फर्द गिरफ्तारी के वास्ते कायमी जूर्म हेतु रिपोर्ट सेवा में पेश है । एस डी (राजेन्द्र प्रसाद स.उ.नि.) पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर ग्रामीण दिनांक:-05.04.2023